

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2012-13/५०

दिनांक : २२-५-१२

प्रबन्धक,
आई.सी.आई.सी.आई बैंक,
वृत्त-प्रथम, कार्यालय परिसर,
राजस्थान आवासन मण्डल,
सांगानेर, जयपुर।

विषय :- प्रताप नगर सांगानेर योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के नये पंजीकरण हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र जमा करने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के क्रम में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रताप नगर सांगानेर योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना हेतु नई पंजीकरण योजना प्रांरम्भ की जानी है इस हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने का कार्य बैंक से निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :-

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजनावार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में साप्ट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौंपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजनावार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक फ्लॉ प्राप्त राशि की एक लाख ले गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गई दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौंपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य शर्त जोड़ जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

७५६.१५

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति.मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को ऐजकर लेख है कि उक्त सूचना वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
7. निदेशक (विधि)/अति.मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
8. समस्त उप आवासन आयुक्तराज. आवा. मण्डल.....
9. समस्त आवासीय अभियन्ताराज. आवा. मण्डल.....
10. रक्षित पत्रावली।

७५६.१५

वित्तीय सलाहकार

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली / 2012-13 / ५।

दिनांक : २२-५-१२

प्रबन्धक,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
राजस्थान आवासन मण्डल,
मुख्यालय परिसर, ज्योति नगर,
जयपुर।

विषय :— प्रताप नगर सांगानेर योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के नये पंजीकरण हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र जमा करने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के क्रम में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रताप नगर सांगानेर योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना हेतु नई पंजीकरण योजना प्रांभ की जानी है इस हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने का कार्य बैंक से निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :—

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजनावार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में सापेक्ष कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौंपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजनावार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गई दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौंपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य शर्त जोड़ जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

७ मई २०१४

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति.मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।
7. निदेशक (विधि)/अति.मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, रा.आ.स., जयपुर।
8. समस्त उप आवासन आयुक्तराज. आवा. मण्डल.....
9. समस्त आवासीय अभियन्ताराज. आवा. मण्डल.....
10. रक्षित पत्रावली।

७ मई २०१४

वित्तीय सलाहकार

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली / 2012-13 / ५२

दिनांक : २२-५-१२

प्रबन्धक,
ओरियन्ट बैंक ऑफ कॉमर्स,
एयरपोर्ट के सामने,
सांगानेर, जयपुर।

विषय :- प्रताप नगर सांगानेर योजना में अफोडेबल हाउसिंग योजना के नये पंजीकरण हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र जमा करने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के क्रम में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रताप नगर सांगानेर योजना में अफोडेबल हाउसिंग योजना हेतु नई पंजीकरण योजना प्रांरम्भ की जानी है इस हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने का कार्य बैंक से निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :-

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजनावार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में सापट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौंपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजनावार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी .. की दिनांक तक प्रचलित व्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौंपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य शर्त जोड़ जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

७५५.१।५।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति.मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
7. निदेशक (विधि)/अति.मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
8. समस्त उप आवासन आयुक्तराज. आवा. मण्डल.....
9. समस्त आवासीय अभियन्ताराज. आवा. मण्डल.....
10. रक्षित पत्रावली।

७५५.१।५।

वित्तीय सलाहकार

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2012-13/ ५३

दिनांक : २२-५-१२

प्रबन्धक,
पंजाब नेशनल बैंक,
वृत्त-प्रथम, कार्यालय परिसर,
राजस्थान आवासन मण्डल,
सांगानेर, जयपुर।

विषय :- प्रताप नगर सांगानेर योजना में अफोडेबल हाउसिंग योजना के नये पंजीकरण हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र जमा करने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के क्रम में।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रताप नगर सांगानेर योजना में अफोडेबल हाउसिंग योजना हेतु नई पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने का कार्य बैंक से निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :-

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजनावार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में साप्ट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौंपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजनावार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गई दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौंपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य शर्त जोड़ जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

७५५१५
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति.मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।
7. निदेशक (विधि)/अति.मुख्य नगर नियोजक/जन सम्पर्क अधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
8. समस्त उप आवासन आयुक्तराज. आवा. मण्डल.....
9. समस्त आवासीय अभियन्ताराज. आवा. मण्डल.....
10. रक्षित पत्रावली।

७५५१५
वित्तीय सलाहकार